

सं. 05/05/2024 – रा. भा. (सेवा)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय/ राजभाषा विभाग

एनडीसीसी –II भवन,
बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली – 110 001
दिनांक: 22 जुलाई, 2025

कार्यालय आदेश

राजभाषा विभाग के दिनांक 15 जुलाई, 2025 के कार्यालय आदेश सं. 05/05/2024 – रा. भा. (सेवा) के तहत केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के 33 सहायक निदेशकों/ वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के स्थानांतरण अन्य मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में किया गया था। उक्त अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में दिनांक 17 जुलाई, 2025 से स्वतः कार्यमुक्त (Stand Relieved) के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ यह उल्लेख किया गया था कि दिनांक 17 जुलाई, 2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त ना होने की स्थिति में भी सभी अधिकारियों को स्वतः ही कार्यमुक्त समझा जाएगा। 05 अधिकारियों द्वारा तैनाती के नए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण ना करके स्वतः कार्यमुक्ति (Stand Relieved) के आदेश की अवहेलना की गई है, जोकि केन्द्रीय सिविल सेवा, वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील (CCS, CCA) नियम, 1965 के तहत अनुशासनहीनता और आदेशों की अवज्ञा की श्रेणी में आती है। जिन कार्मिकों ने आदिनांक तक तैनाती के मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है उनकी सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	तैनाती का कार्यालय
1.	सुश्री उमा मिश्रा, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	पशुपालन और डेयरी विभाग
2.	श्री पवन कुमार शर्मा, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	गृह मंत्रालय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
3.	श्री नसीम अहमद, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	पशुपालन और डेयरी विभाग	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
4.	सुश्री अनुजा पी. टी., वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	भारत का निर्वाचन आयोग
5.	सुश्री सरिता रानी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	राजस्व विभाग	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

2. उपर्युक्त तालिका में दर्शाए गए अधिकारियों को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 23 जुलाई, 2025 (अपराह्न) से स्वतः कार्यमुक्ति (Stand Relieved) के आदेश जारी किए जाते हैं। दिनांक 23 जुलाई, 2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त ना होने की स्थिति में भी उन्हें स्वतः ही कार्यमुक्त समझा जाएगा। साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि निर्धारित तिथि के पश्चात तैनाती के मंत्रालय/ कार्यालय में संबंधित अधिकारियों द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने पर उनके वेतन तथा अन्य भत्तों पर रोक लगा दी जाएगी तथा निर्धारित तिथि के बाद की अवधि को अकार्य दिवस (Diesnon) समझा जाएगा।

3. संबंधित अधिकारियों के वर्तमान तैनाती के मंत्रालय/कार्यालय से अनुरोध है कि उनको तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए उनकी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का निदेश दें तथा इनकी सेवापंजी, एलपीसी इत्यादि दस्तावेज संबंधित मंत्रालय/ विभाग में सीधे भिजवा दिए जाएं।

4. यह कार्यालय आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राजेश
22/7/2025

(राजेश कुमार)
सहायक निदेशक (सेवा)

सेवा में,

1. मुख्य सतर्कता अधिकारी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली।
2. मुख्य सतर्कता अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी, पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य सतर्कता अधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. मुख्य सतर्कता अधिकारी, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निर्धारित तिथि के पश्चात तैनाती के मंत्रालय/ कार्यालय में सुश्री उमा मिश्रा, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने पर उनके वेतन तथा अन्य भत्तो पर रोक लगाना सुनिश्चित किया जाए।
7. आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ), गृह मंत्रालय, एन डी सी सी - II भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निर्धारित तिथि के पश्चात तैनाती के मंत्रालय/ कार्यालय में श्री पवन कुमार शर्मा, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने पर उनके वेतन तथा अन्य भत्तो पर रोक लगाना सुनिश्चित किया जाए।
8. आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ), पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निर्धारित तिथि के पश्चात तैनाती के मंत्रालय/ कार्यालय में श्री नसीम अहमद, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने पर उनके वेतन तथा अन्य भत्तो पर रोक लगाना सुनिश्चित किया जाए।
9. आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निर्धारित तिथि के पश्चात तैनाती के मंत्रालय/ कार्यालय में सुश्री अनुजा पी. टी., वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने पर उनके वेतन तथा अन्य भत्तो पर रोक लगाना सुनिश्चित किया जाए।
10. आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ), राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निर्धारित तिथि के पश्चात तैनाती के मंत्रालय/ कार्यालय में सुश्री सरिता रानी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने पर उनके वेतन तथा अन्य भत्तो पर रोक लगाना सुनिश्चित किया जाए।
11. अवर सचिव (प्रशासन/ स्थापना), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निर्धारित तिथि के पश्चात तैनाती के मंत्रालय/ कार्यालय में सुश्री उमा मिश्रा, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने पर उनके वेतन तथा अन्य भत्तो पर रोक लगाना सुनिश्चित किया जाए तथा निर्धारित तिथि के बाद की अवधि को अकार्य दिवस (Diesnon) समझा जाए।
12. अवर सचिव (प्रशासन/ स्थापना), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निर्धारित तिथि के पश्चात तैनाती के मंत्रालय/ कार्यालय में श्री पवन कुमार शर्मा, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने पर उनके वेतन तथा अन्य भत्तो पर रोक लगाना सुनिश्चित किया जाए तथा निर्धारित तिथि के बाद की अवधि को अकार्य दिवस (Diesnon) समझा जाए।

13. अवर सचिव (प्रशासन/ स्थापना), पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निर्धारित तिथि के पश्चात तैनाती के मंत्रालय/ कार्यालय में श्री नसीम अहमद, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने पर उनके वेतन तथा अन्य भत्तो पर रोक लगाना सुनिश्चित किया जाए तथा निर्धारित तिथि के बाद की अवधि को अकार्य दिवस (Diesnon) समझा जाए।
14. अवर सचिव (प्रशासन/ स्थापना), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निर्धारित तिथि के पश्चात तैनाती के मंत्रालय/ कार्यालय में सुश्री अनुजा पी. टी., वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने पर उनके वेतन तथा अन्य भत्तो पर रोक लगाना सुनिश्चित किया जाए तथा निर्धारित तिथि के बाद की अवधि को अकार्य दिवस (Diesnon) समझा जाए।
15. अवर सचिव (प्रशासन/ स्थापना), राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निर्धारित तिथि के पश्चात तैनाती के मंत्रालय/ कार्यालय में सुश्री सरिता रानी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने पर उनके वेतन तथा अन्य भत्तो पर रोक लगाना सुनिश्चित किया जाए तथा निर्धारित तिथि के बाद की अवधि को अकार्य दिवस (Diesnon) समझा जाए।
16. सुश्री उमा मिश्रा, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली।
17. श्री पवन कुमार शर्मा, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
18. श्री नसीम अहमद, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
19. सुश्री अनुजा पी. टी., वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
20. सुश्री सरिता रानी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
21. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, एनआईसी। कृपया कार्यालय आदेश को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
22. गार्ड फाईल।
